अध्याय-V

नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व

अध्याय-V

नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व

5.1 परिचय

नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) का तात्पर्य, व्यवसाय में नीतिपूर्वक व्यवहार करने तथा बड़े पैमाने पर स्थानीय समुदाय के जीवन-स्तर में सुधार लाते हुए आर्थिक विकास में योगदान करने की सतत प्रतिबद्धता। यह बड़े पैमाने पर उसके हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के हितों तथा उसके सामान्य समुदाय की धारणीयता, नैतिकता एवं समाज पर उसके प्रभाव को पहचानता है। नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) की संकल्पना आदान-प्रदान की विचारधारा पर टिकी है। कंपनी समाज से संसाधनों को कच्चे माल एवं मानव संसाधन आदि के रूप में प्राप्त करती है। कंपनियां नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) की गतिविधियों के निर्वहन द्वारा समाज को कुछ वापस सौंप रही हैं।

चार्ट-5.1

भारत, नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) को अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला राष्ट्र है, जहां कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII तथा धारा 135, अप्रैल 2014 में लागू की गयी। कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नियम, 2014 कंपनियों द्वारा समाज पर खर्च को अनिवार्य एवं विनियमित करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) अधिदेश को शामिल करना सरकार के विकास के लाभ को समान रूप से वितरित करने तथा निगम-क्षेत्र को राज्य के विकास एजेंडे के साथ जोड़ने के प्रयत्नों को सहारा देने का प्रयास है।

क़ानूनी रूपरेखा: कम्पनी अधिनियम, 2013 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 135 नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) के विषय से सम्बंधित है एवं जिन कंपनियों से नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल

रेस्पोंसिबिलिटी) की गतिविधियां का संचालन अपेक्षित है, उनके लिए किसी वित्तीय वर्ष[67] के दौरान नेट वर्थ, टर्नओवर व निवल लाभ के आधार पर योग्यता मानदंड तथा अन्य बातों के साथ कंपनी के निदेशक-बोर्ड द्वारा नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) की गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन व निगरानी हेतु बोर्ड के विशिष्ठ तौर-तरीकों को प्रस्तुत करता है। कंपनी द्वारा उसकी नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति में शामिल की जा सकने वाली गतिविधियां अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध की गई हैं। अधिनियम की धारा 135 एवं अनुसूची VII के प्रावधान सभी कंपनियों पर, जिनमे राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भी शामिल हैं, पर प्रयोज्य हैं। इस अधिनियम में किसी भी कंपनी के लिए नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों के लिए पूर्ववर्ती लगातार तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ (अधिनियम की धारा 198 के अनुसार परिकलित) का कम से कम 2 प्रतिशत प्रति वर्ष खर्च करना अनिवार्य बनाया गया है। अधिनियम के तहत नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) के प्रावधानों की अनुपालना अर्थात नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति का गठन, नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति का निरूपण तथा नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों पर निर्धारित राशि को व्यय करना अप्रैल 2014 से प्रभावी हुआ।

फरवरी 2014 में, कोरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने कंपनी (नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 जारी किया। नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व नियम 1 अप्रैल 2014 से सभी कंपनियों पर पूर्ण प्रभाव से लागू किया गया।

5.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों की अनुपालना लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है, कि अधिनियम, कंपनी (नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रयासों का आंकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने निम्नवत मामलों की जाँच की:

- क्या नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) के गठन, नीति के प्रतिपादन व अनुपालन, निष्पादन की योजना-चरणों की अनुपालना की गई है;

---

67 *कंपनी अधिनियम, 2017 के संशोधन 37 के अनुसार, किसी भी वित्तीय वर्ष पर अस्पष्टता को हल करने के लिए,'किसी भी वित्तीय वर्ष' को ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के रुप में बदल दिया गया है । यह अधिनियम 19 सितम्बर 2018 से प्रभावी है।*

- क्या विनिर्दिष्ट गतिविधियों पर व्यय की जाने वाली निर्धारित राशि से सम्बंधित प्रावधानों की अनुपालना की गई है;
- क्या कार्यान्वयन एवं रिपोर्टिंग से सम्बंधित प्रावधानों की अनुपालना की गई हैं।

5.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कवरेज

लेखापरीक्षा ने 2014-20 के दौरान राज्य के पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (दो सांविधिक निगमों[68] को छोड़ कर राज्य के 27 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से), जो अधिनियम की धारा 135 (1) के तहत नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों के संचालन हेतु पात्र थे, की नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) की गतिविधियों की समीक्षा की थी। राज्य के पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से तीन[69] लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) तथा दो[70] राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम थे। दो में से एक का टर्न ओवर ₹1000 करोड़ से अधिक का था (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) जबकि दूसरे (हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड) का नेटवर्थ ₹500 करोड़ से ज्यादा था।

5.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा विश्लेषण निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार किया गया:

- अधिनियम की धारा 135 एवं अनुसूची VII में निहित प्रावधान; एवं
- कंपनी (नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति) नियम, 2014 के प्रावधान।

5.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति के गठन, नीति निरूपण व उनकी अनुपालना, नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) की गतिविधियों की कार्ययोजना एवं निष्पादन से संदर्भित अधिनियम के प्रावधानों की अधिकतम अनुपालना तथा उन पर राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की निगरानी व रिपोर्टिंग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुवर्ती परिच्छेदों में दिए गए है।

---

[68] *हिमाचल पथ परिवहन निगम और हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम।*

[69] *हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड।*

[70] *हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।*

5.5.1 कार्ययोजना

5.5.1.1 नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति का गठन

अधिनियम की धारा 135(1) के अनुसार, नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों के संचालन हेतु पात्र प्रत्येक कंपनी को तीन या तीन से अधिक निदेशकों से युक्त बोर्ड की नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति का गठन करना होगा। अधिनियम की धारा 135 (1) व (3) के अनुसार बोर्ड एवं नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति की भूमिका **चार्ट-5.2** में दर्शाई गई है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति का गठन करने हेतु पात्र राज्य के सभी पांचों[71] सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति का गठन किया था। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा गठित समिति (जून 2014) का सितम्बर 2018 में अस्तित्व समाप्त हो गया था, यद्यपि कंपनी ने इसका पुनर्गठन (जनवरी 2021) कर दिया था।

चार्ट-5.2

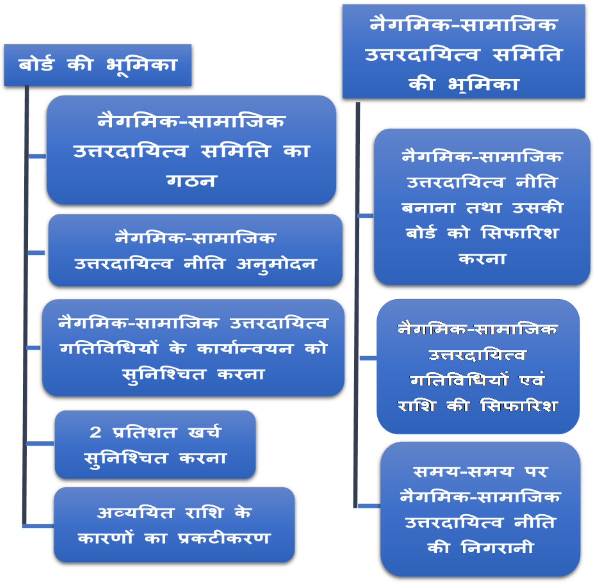

5.5.1.2 नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति में स्वतंत्र निदेशक

अधिनियम की धारा 135 (1) के अनुसार नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक हो। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जिनमें समिति का गठन हुआ, दो उद्यमों (हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड) ने कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक रखने के नियम का पालन किया। राज्य के शेष तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड,

---

[71] *राज्य के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) अर्थात; हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड (जून 2014), हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (जून 2016), हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड (जुलाई 2018) और दो विद्युत क्षेत्र के उद्यम, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जून 2014) व हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (जुलाई 2014) क्रमशः।*

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा हिमाचल प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड) के संदर्भ में कोई स्वतंत्र निदेशक मनोनीत नहीं किया गया।

5.5.1.3 नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति का निरूपण

अधिनियम की धारा 135 (3) में अपेक्षित है कि नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति निरुपित करें एवं बोर्ड से उसकी अनुशंसा करें। राज्य के चार[72] सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति की अनुशंसा एवं बोर्ड के अनुमोदन पर नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति बनाई। विद्युत क्षेत्र के राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) ने अब तक कोई नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति नहीं बनाई।

हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरशन लिमिटेड तथा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड ने मार्च 2015 व जुलाई 2015 में तथा हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड ने क्रमशः जून 2016 व सितम्बर 2018 में नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति बनाई थीं। यह देखा गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने जून 2016 के दौरान नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति तैयार की, परन्तु इसे 2014-15 से तैयार करना अपेक्षित था।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने 2016-18 के दौरान नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति के अनुमोदन के बिना ₹1.50 लाख खर्च किए थे। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड ने अधिनियम के प्रावधानानुसार पात्र होने के बावजूद 2015-16 से पूर्व नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों शुरू नहीं की थी।

वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान राज्य के चारों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा नीति एवं उसकी अनुपालना के सम्बन्ध में नियम 6[73] आवश्यकता नीचे दी गई है:

---

[72] *हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (मार्च 2015), हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड (जुलाई 2015), हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (जून 2016) और हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड (सितंबर 2018)।*

[73] *नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व का नियम 6 नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की आवश्यकता को निर्दिष्ट करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन परियोजनाओं की सूची शामिल होगी जिन्हें एक कंपनी कार्यान्वयन के तंत्र के साथ शुरू करने की योजना बना रही है, नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष कंपनी के व्यवसाय लाभ एवं उसकी निगरानी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होगा।*

तालिका-5.1: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा नीतियों के संबंध में नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पॉंसिबिलिटी) नियम संख्या 6 की अनुपालना

नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पॉंसिबिलिटी) नियम संख्या 6 की आवश्यकता	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उदयमों दवारा अनुपालना	
अन्य बातों के साथ शामिल करने हेतु नीति	**हां**	**नहीं**
कार्यान्वयन का ध्यानकेन्द्रित क्षेत्र	4*	0
कायान्र्वयन का तरीका	3	1 (हिमाचल प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड)
यह घोषणा कि नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पॉंसिबिलिटी) प्रोजेक्ट/गतिविधि से प्राप्त अधिशेष व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा	0	4
निगरानी रुपरेखा	3	1 (हिमाचल प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड)

**** हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के पास कोई नीति नहीं थी।***

5.5.1.4 वार्षिक नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पॉंसिबिलिटी) कार्ययोजना तथा बजट

नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पॉंसिबिलिटी) समिति की भूमिका, बोर्ड को नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पॉंसिबिलिटी) की गतिविधियों तथा वित्तीय वर्ष में खर्च की जाने वाली राशि की अनुशंसा करना है। बोर्ड को नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पॉंसिबिलिटी) गतिविधियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना होता है। इसमें नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पॉंसिबिलिटी) गतिविधियों की कार्ययोजना तथा बजट अनुमोदन शामिल हैं। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्तावित नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पॉंसिबिलिटी) प्रोजेक्ट व बजट को हर वर्ष 31 मार्च तक नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पॉंसिबिलिटी) समिति के माध्यम से सर्वोत्तम प्रणालियों के रूप में बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लाभ अर्जित करने वाले राज्य के तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड), जिन्हें नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पॉंसिबिलिटी) गतिविधियों के लिए पूर्ववर्ती तीन लगातार वित्तीय वर्षों के उनके निवल औसत लाभ का दो प्रतिशत प्रति वर्ष खर्च करना अपेक्षित था, ने न तो नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पॉंसिबिलिटी) हेतु बजट तैयार किया न ही उनकी कोई वार्षिक नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पॉंसिबिलिटी) योजना थीं।

उत्तर में हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने बताया (जून 2021) कि कंपनी ने नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति अनुमोदित की थी (जून 2021) तथा नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों के लिए पूर्ववर्ती तीन लगातार वित्तीय वर्षों के उसके औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत निर्धारित किया था। उत्तर तथ्य-परक नहीं है। कंपनी द्वारा 2014-20 के दौरान ₹127.55 लाख खर्च करना अपेक्षित था जबकि मात्र ₹77.24 लाख का व्यय किया गया तथा कोविड-19 से पहले मुख्यमंत्री राहत कोष में कंपनी द्वारा किया गया अंशदान (₹3.48 करोड़) अनुमत नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) व्यय नहीं था।

5.5.2 वित्तीय घटक

5.5.2.1 निधियों का आवंटन एवं उपयोग

अधिनियम की धारा 135 (5) के अनुसार किसी भी कंपनी को पूर्ववर्ती तीन लगातार वित्तीय वर्षों (अधिनियम की धारा 198 के अंतर्गत परिकलित) के औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत प्रति वर्ष खर्च करना अनिवार्य है तथा बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि कंपनी पूर्ववर्ती तीन लगातार वर्षों के निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करती है। इस प्रकार से परिकलित औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत, किया गया आवंटन तथा 2014-15 से 2019-20 की अवधि में लाभ अर्जित करने वाले राज्य के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में किया गया वास्तविक व्यय अनुवर्ती तालिका में दिया गया है।

तालिका- 5.2 नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति के अनुसार खर्च की जाने वाली तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा वास्तव में खर्च की गई राशि का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	पूर्ववर्ती तीन वर्षों का औसत निवल लाभ (अधिनियम की धारा-198 के अनुसार)	दो प्रतिशत की दर से किया गया आवंटन	वास्तविक खर्च का राशि
2014-15	1,491.87	29.84	-
2015-16	1,588.71	31.77	14.00
2016-17	1,829.90	36.60	21.22
2017-18	2,490.56	49.82	35.01
2018-19	2,863.67	57.28	0.15
2019-20	2,842.98	56.87	150.74*
	योग:	**262.19**	**221.12**

****कोविड-19 हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष को दिए गए ₹75 लाख के व्यय को शामिल किया गया है।***

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2014-20 की अवधि के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों हेतु अलग से निधियों का आवंटन नहीं किया था। यद्यपि दो प्रतिशत के निर्धारित नियमानुसार, ₹262.19 लाख राशि खर्च की जानी अपेक्षित थी, तथापि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों

₹221.12 लाख (2019-20 के दौरान कोविड-19 के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹146.12 लाख अंशदान के अतिरिक्त) का व्यय किया। वर्ष 2014-20 हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम-वार व्यय का विवरण **परिशिष्ट-5.1** में दिया गया है। लेखापरीक्षा में राज्य के प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पौंसिबिलिटी) नीति के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों का विवरण नीचे दिया गया है:

- 2014-19 के दौरान हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम ने नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पौंसिबिलिटी) नीति के अनुसार अपेक्षित ₹69.37 लाख खर्च नहीं किए।
- 2014-19 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड ने अपेक्षित ₹94.71 लाख के प्रति मात्र ₹1.50 लाख ही खर्च किए।
- 2014-15 व 2018-20 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड ने नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पौंसिबिलिटी) गतिविधियों पर अपेक्षित ₹21.62 लाख के प्रति मात्र ₹0.15 लाख का व्यय किया।

हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड ने बताया (जून 2021) कि 2014-19 के दौरान कंपनी ने अपेक्षित ₹94.71 लाख के प्रति ₹3.48 करोड़ का व्यय किया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राशि का अंशदान मुख्यमंत्री राहत कोष में किया गया जो अनुमत नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पौंसिबिलिटी) व्यय का भाग नहीं था। इसके अतिरिक्त, 2019-20 के दौरान कोविड-19 हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष दिए गए ₹75 लाख भी अनुमत नहीं थे।

5.5.2.2 राज्य के ऋणात्मक निवल लाभ वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

31 दिसम्बर 2020 तक के अन्तिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार 2014-18 के दौरान दो विद्युत क्षेत्र के राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (-) ₹17.00 करोड़ से (-)₹196.60 करोड़ तथा हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड: (-) ₹6.10 करोड़ से (-) ₹43.10 करोड़) का औसत निवल लाभ (अधिनियम की धारा 198 के तहत परिकलित) ऋणात्मक ही रहा। इस प्रकार, विद्युत क्षेत्र के दोनों राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पौंसिबिलिटी) गतिविधियों पर किसी प्रकार का व्यय करने की आवश्यकता नहीं थीं।

5.5.2.3 अव्ययित राशि का लेखांकन

नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पौंसिबिलिटी) हेतु लेखांकन पर भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्था द्वारा जारी मार्गदर्शन टिप्पणी (गाइडेंस नोट्स) के अनुसार, अव्ययित राशि का खुलासा केवल बोर्ड की रिपोर्ट में किया जाए तथा अव्ययित राशि के लिए लेखाओं में कोई प्रावधान नहीं किया जाए। यद्यपि यदि कोई कंपनी पहले से ही नैगमिक-सामाजिक

उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) की कुछ गतिविधियां कर चुकी है, जिसके लिए संविदात्मक देयताएं खर्च की गई तो पूर्ण की गई नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों के लिए प्रावधान की गई राशि को आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लेखा-बहियों दर्ज किए जाने की आवश्यकता है।

यह देखा गया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड ने क्रमशः 2015-19 के दौरान ₹84.04 लाख एवं ₹11.00 लाख (2017-18 के दौरान) की सीमा तक की अव्ययित राशि आगे स्थानांतरित करने के लिए प्रावधान बनाए। यह नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) हेतु लेखांकन पर गाइडेंस नोट्स का उल्लंघन है।

उत्तर (जून 2021) में, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड ने आंशिक रूप से आपत्ति को स्वीकार किया तथा बताया कि चर्चा के बाद, यदि आवश्यक हुआ तो बाद की वित्तीय विवरणियों में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड ने उसके उत्तर में (जून 2021) आपत्तियों को स्वीकार किया तथा भविष्य में अनुपालन करने का आश्वासन दिया।

5.5.3 प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन

5.5.3.1 नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) प्रोजेक्ट/ गतिविधियों का चुनाव

बुनियादी सर्वेक्षण का संचालन एवं आंकलन: राज्य के तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में से किसी ने भी अलग से बुनियादी सर्वेक्षण नहीं किया था।

हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड ने बताया (जून 2021) कि नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति/निदेशक-बोर्ड के परामर्श एवं अनुमोदन से बाद के वर्षों में लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विधिवत विचार किया जाएगा।

5.5.3.2 नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों के कार्यान्वयन का तरीका

कंपनी (नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी)) नियम, 2014 का नियम 4 उस शैली से सम्बंधित है जिसमें धारा 135 (1) के तहत नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) की गतिविधियां संचालित की जानी हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) की गतिविधियों के कार्यान्वयन के तरीके निम्नवत है:

- प्रत्यक्ष/आतंरिक : राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा ₹7.52 लाख के दो प्रोजेक्ट प्रत्यक्ष/आतंरिक रूप से कार्यान्वित किए गए थे (हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक

आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रमशः ₹7.18 लाख व ₹0.34 लाख)।

- बाह्य एजेंसी के द्वारा: ₹60.95 लाख के आठ प्रोजेक्ट (हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रमशः ₹60.70 लाख व ₹0.25 लाख) सरकार/बाह्य एजेंसियों के द्वारा निष्पादित किए गए।

5.5.3.3 ध्यानकेन्द्रित क्षेत्र

2015-16 से 2019-20 के दौरान नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) पर हुए ₹221.12 लाख के कुल व्यय का मुख्य केंद्र-बिंदु ग्रामीण विकास (₹45.89 लाख), खेल (₹14.15 लाख), भूख निवारण (₹7.18 लाख), शिक्षा एवं कौशल विकास (₹1.50 लाख) कोविड-19 हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान (₹1.50 करोड़) तथा दान/सहायता (₹2.40 लाख) रहे। इस अवधि के दौरान राज्य के पात्र सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अन्य शीर्षों के अंतर्गत कोई राशि खर्च नहीं की गई।

हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड ने उसके प्रत्युत्तर में (जून 2021) में बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष में दी गई राशि का राज्य सरकार द्वारा नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति के अंतर्गत क्रमबद्ध विभिन्न ध्यानकेन्द्रित क्षेत्रों में उपयोग किया गया था। हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री राहत कोष में दी गई राशि नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति के तहत अनुमत नहीं थी, जबकि हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम ने उसके प्रत्युत्तर (जून 2021) में बताया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) निधि को खर्च करने के प्रयास किए जाएंगे।

5.5.3.4 स्थानीय क्षेत्र

अधिनियम की धारा 135(5) में प्रावधान है कि नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि खर्च करने के लिए कंपनी स्थानीय क्षेत्र एवं उन क्षेत्रों को जहां वह कार्य करती है, वरीयता देगी। राज्य के सभी चारों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने नीति में स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित नहीं किया। नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) पर प्रतिवेदन के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार, स्थानीय एवं अन्य क्षेत्रों में खर्च की गई राशि को अलग-अलग दिखाया जाना चाहिए। राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) पर वार्षिक रिपोर्ट में स्थानीय क्षेत्र को विनिर्दिष्ट नहीं किया।

हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड ने अपने उत्तर (जून 2021) में आगामी वर्षों में अपेक्षित प्रावधानों की अनुपालन करने का आश्वासन दिया जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड ने उत्तर (जून 2021) में बताया कि हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से एक छोटा राज्य है, जिसका जनसंख्या घनत्व कम है इसलिए नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) में भागीदारी करने के लिए केवल एक विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना उचित नहीं हो सकता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की उक्त धारा की अवहेलना करता है, अतः नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) निधियों में चिह्नित राशि खर्च करने के लिए कंपनी को उन स्थानीय क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए थी जहां वह व्यवसाय करती है।

5.5.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा संचालित नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों पर निष्कर्ष

5.5.4.1 नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) पर हुआ अपर्याप्त व्यय

राज्य के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत् क्षेत्र के अतिरिक्त) जो नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) पर खर्च करने हेतु पात्र थे, उन्होंने नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति के अनुसार व्यय नहीं किया। 2014-15 से 2019-20 की अवधि में किए जाने वाले व्यय एवं वास्तविक व्यय का राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम-वार विवरण नीचे **तालिका-5.3** में दिया गया है :

तालिका-5.3: 2014-15 से 2019-20 की अवधि के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों हेतु किए जाने वाले व्यय एवं किये गए वास्तविक व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	किया जाने वाला व्यय	किया गया व्यय	कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी हेतु अधिक (+)/कम (-) व्यय
हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड	45.63	68.88	(+)23.25
हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	127.55	77.24	(-) 50.31
हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	89.01	75.00	(-) 14.01
कुल	**262.19**	**221.12**	**(-) 41.07**

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने 2014-20 के दौरान नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति के अनुसार अपेक्षित नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों के

लिए किए जाने वाले व्यय के प्रति कम व्यय (₹64.32 लाख) किया तथा राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ने ₹23.25 लाख अधिक व्यय किया था।

हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड ने उत्तर में बताया (जून 2021) कि कंपनी ने नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों के अंतर्गत अधिक राशि का अंशदान दिया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में किया गया अंशदान नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) व्यय के रूप में अनुमत नहीं था।

5.5.4.2 नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधि के तहत अमान्य व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की धारा 135, एवं नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) के तहत वित्तीय सहायता/अनुदान, उक्त अनुसूची के अंतर्गत उल्लिखित विशिष्ट गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर नहीं दिया जा सकता।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड ने आशा किरण विकलांग शिक्षा समिति, बिलासपुर को ₹1.00 लाख (जून 2016) की राशि का दान दिया एवं हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने रेड क्रॉस सोसाइटी को ₹1.00 लाख (जुलाई 2017) एवं गो-सदन, मझवार, जिला मण्डी को ₹0.40 लाख (जनवरी 2020) का दान दिया जो नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों के अंतर्गत पात्र नहीं थे। इस प्रकार, 2016-20 के दौरान राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा ₹2.40 लाख का व्यय किया गया, जो अमान्य था।

5.5.4.3 उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति न होना

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड ने नौ परियोजनाओं (हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड -आठ एवं हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड -एक) के निष्पादन के लिए बाहरी एजेंसियों को ₹43.99 लाख का अग्रिम प्रदान किया, परन्तु संबंधित एजेंसियों से निष्पादित कार्यों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं लिए/प्राप्त किए गए। उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि प्रदान किया गया अग्रिम अभीष्ट उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया गया था।

5.5.4.4 नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति/नीति के अनुमोदन के बिना व्यय

(i) विद्यमान नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी) समिति/निदेशक-बोर्ड के अनुमोदन/संविधान के बिना हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड ने महासचिव, खेल एवं सांस्कृतिक क्लब, मंडी को ₹0.15 लाख का अग्रिम प्रदान किया (जून 2018) एवं हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड ने ₹1.50 लाख (2016-18) का व्यय किया था।

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड ने नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति के अनुमोदन के बिना पांच प्रोजेक्ट पर ₹29.59 लाख का व्यय किया।

5.5.5 निगरानी ढांचा

नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नियम, 2014 के नियम 5 (2) के अनुसार, नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति कंपनी द्वारा शुरू की गई नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) परियोजनाओं/ कार्यक्रमों/ गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करेगी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि राज्य के चारों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड लिमिटेड ने नीति नहीं बनाई) में से राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड) ने नीति में निगरानी तंत्र को विनिर्दिष्ट नहीं किया। नीति के अनुसार राज्य के अन्य तीन[74] सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के संबंध में, प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) बैठकें आयोजित करना अपेक्षित था, परन्तु 2018-19 के दौरान राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा कोई नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) बैठक आयोजित नहीं की गई थी एवं वर्ष 2019-20 के दौरान एक बैठक हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य औद्योगिक निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित की गई थी।

5.5.6 रिपोर्टिंग एवं प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र)

अधिनियम की धारा 135 (2) एवं (4) के साथ पठित धारा 134 (3) (ओ) के अनुसार, किसी कंपनी को उसकी बोर्ड रिपोर्ट में नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) पर एक वार्षिक रिपोर्ट सम्मिलित करनी होगी एवं यदि उसकी कोई आधिकारिक

[74] *हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड।*

वेबसाइट हो, तो उस पर उसे निर्धारित तरीके में रखना अपेक्षित है। कंपनियों को निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित का डिस्क्लोज़र करना होगा :

1. डिस्क्लोज़र में नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति की विषयवस्तु, नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति का वेब लिंक, औसत निवल लाभ, नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति की संरचना, प्रशासन उपरिव्यय, निर्धारित राशि, अव्ययित राशि, अव्ययित राशि के कारण सम्मिलित हो।
2. नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति द्वारा हस्ताक्षरित एक उत्तरदायित्व विवरण शामिल हो, कि नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति का कार्यान्वयन एवं निगरानी कंपनी के नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) के उद्देश्य एवं नीति की अनुपालना के अनुसार था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड ने अपनी बोर्ड रिपोर्ट में नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) पर वार्षिक रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया एवं राज्य के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ने इसे आधिकारिक वेबसाइट पर नहीं दर्शाया।

निष्कर्ष

राज्य के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ने अधिनियम एवं नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नियमों के प्रावधानों का कठोरता से पालन नहीं किया। हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड ने क्रमशः जून 2016 एवं जुलाई 2018 में नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति का गठन किया एवं जून 2016 एवं सितंबर 2018 में नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति तैयार की। सितंबर 2018 से दिसंबर 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड में नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति अस्तित्व में नहीं थी, हालांकि इसका पुनर्गठन (जनवरी 2021) किया गया था। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड लिमिटेड ने अभी तक अपनी नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति नहीं बनाई थी। लाभ अर्जित करने वाले राज्य के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड) ने कोई नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) योजना नहीं बनाई थीं। 2014-20 के दौरान राज्य के तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा नैगमिक-

सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों हेतु ₹262.19 लाख के अपेक्षित व्यय के प्रति मात्र ₹221.12 लाख का व्यय किया गया था।

राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड) नीति में निगरानी तंत्र को विनिर्दिष्ट नहीं किया। नीति के अनुसार, राज्य के सभी तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड) को प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) बैठकें आयोजित करना अपेक्षित था, जबकि 2018-19 के दौरान राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा कोई नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) बैठक आयोजित नहीं की गई थी एवं 2019-20 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी। 2014-18 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों ने भी हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित कुल छः बैठकों में से तीन बैठकों में भाग नहीं लिया था।

सिफारिश

- ***राज्य के लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम वार्षिक बजट एवं नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) योजना तैयार करें, जिससे वित्तीय वर्ष के दौरान नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) हेतु आवंटित धन का तदनुसार उपयोग किया जा सके।***
- ***राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम पूर्ववर्ती तीन वर्षों के औसत निवल लाभ के दो प्रतिशत को स्वीकार्य गतिविधियों पर खर्च करने का प्रयास करें।***